PUBLICATION OF NOTIFICATION IN PART IV OF THE DELHI EXTRA ORDINARY GAZETTE GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI LAND & BUILDING DEPARTMENT, VIKAS BHAWAN, NEW DELHI

No.F.7(9)/11/L&B/LA/MRTS/ /0/24

 \cdot)

Dated. 19/9/20/3

NOTIFICATION

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE LT. GOVERNOR OF DELHI.

(Vinay Kumar

Addl. Secretary (L&B)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार भूमि एव भवन विभाग विकास भवन, नई दिल्ली

सं.एफ.७ (9) / 11 / भू.व.भ. / भू.अ. / एमआरटीएस / 1024 अधिसूचना

दिनांकः 19)9/20/3

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिल्ली के उपराज्यपाल भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (दक्षिण—पूर्व), नई दिल्ली को सहर्ष निर्देश देते हैं कि वे उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 1 के अधीन इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिन की समाप्ति पर ऐसी भूमि पर कब्जा कर लें जिसका विशिष्ट विवरण अधिसूचना संख्या एफ.७ (9)/11/भूव. भ./भू.अ./एमआरटीएस/ १८०० दिनांक १५०१ धारा 4 एवं एफ.७ (9)/11/भू.व.भ./भू. अ./एमआरटीएस/ १८०० दिनांक १५०१ धारा 6 में दिया हुआ है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश तथा नाम पर

fanni gonic

(विनय कुमार) अतिरिक्त सचिव (भू.व.भ.)